

वि. सं. वि. वि. सं. सं. सं.
आई. टी. मैनेजर,
मंत्रिमंडल सचिवालय

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अजय कुमार द्विवेदी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1011/2014.....पटना-15, दिनांक-.....अगस्त, 2014
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1011/2014.....पटना-15, दिनांक-.....अगस्त, 2014
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- बी०/बजट-01-1011/2014.....⁰⁵पटना-15, दिनांक-²⁶.....अगस्त, 2014
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग कोषांग/आई. टी. मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

25/8/14